राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 403/2022

1. राजेन्द्र सिंह मीणा
2. रामकुंवर मीणा पुत्र श्री हजारी लाल मीणा
3. राजेश कुमार मीणा
4. रामकुंवर पुत्र श्री शंकर लाल

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज्य सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.09.2022
आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हरीश जांगिड, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने कनिष्ठ/योग्यता में निचले स्तर की नियुक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारित करने तथा सभी परिणामी परिलाभ प्रदान करने का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति शारीरिक प्रषिक्षक अध्यापक तृतीय के पद पर दिनांक 03.09.2008 को हुई थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पीटीआई ग्रेड III के पद के साथ विभिन्न अन्य आधारों पर इस पद की योग्यता में बीपीएड को शामिल करने की आलोचना करने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं के कारण यह विवाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रहा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.3.2015 को दिए गए फैसले के माध्यम से इसका निपटारा किया गया, जिसके तहत विद्वान खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया गया और विद्वान एकल न्यायाधीष के फैसले को यथावत रखा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के क्रम में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक

5.6.2015 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में भर्ती वर्ष 2008 में पीटीआई ग्रेड तृतीय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची के अनुसार नियुक्ति दी जाए तथा पदस्थापन आदेश की प्रति निदेशालय को भेजी जाए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेष दिनांक 11.06.2015 एव ंपत्र दिनांक 17.06.2015 द्वारा अपीलार्थीगण को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच हेतु बुलवाया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थीगण द्वारा अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रत्यर्थी विभाग में करवा दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल बड़गांव, भिनाय, जिला अजमेर में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.07.2015 को जिला षिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दी गई। एक अन्य आदेष दिनांक 27.07.2015 द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 का पदस्थापन राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, सातोलाव, भिनाय मे ंकर दिया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपने पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.07.2015 को उपस्थिति दी गई। अपीलार्थी की 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर आदेष दिनांक 22.09. 2017 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.07.2017 से पद की नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी के साथ समान आदेष से नियुक्त अन्य कार्मिकों व अपीलार्थी संख्या 1 से कनिष्ठ पीटीआई श्री राम प्रसाद मीणा को नियमित वेतन श्रृंखला दिनांक 01.07.2017 से प्रदान की गई। राम प्रसाद मीणा की नियुक्ति भी आदेष दिनांक 27.06.2015 द्वारा की गई थी तथा उनका 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि दिनांक 27.06.2017 को पूर्ण हुई। तदुपरान्त भी अपीलार्थी संख्या 1 से कनिष्ठ पीटीआई राम प्रसाद मीणा को अपीलार्थी संख्या 1 से पूर्व की दिनांक को काल्पनिक नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान कर दी गई जबकि अपीलार्थी संख्या 1 को भी उक्त कनिष्ठ पीटीआई राम प्रसाद मीणा को स्वीकृत दिनांक 01.07.2015 से ही नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की जानी चाहिये थी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पीटिषन संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या 5951/2020 की प्रति संलग्न कर निवेदन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2008 की नियुक्ति भर्ती वर्ष 2008 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.01.2010 जिसमें उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों

जिन्होंने बी.पी.एड. एवं डी.पी.एड. किया है शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पदों के लिए पात्र माना गया जिसे चुनौती देते हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 15359/2010 प्रकाश चन्द्र मीणा व अन्य बनाम सरकार दायर की जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक–19.03.2015 को यह निर्णय पारित किया गया की शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पदों के लिए केवल सी.पी. एड. योग्यताधारी ही पात्र अभ्यर्थी है एवं बी.पी.एड. एवं डी.पी.एड. योग्यताधारी अभ्यर्थी केवल शारीरिक शिक्षक द्वितीय पदो के लिए पात्र है उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक विचाराधीन रहा एवं दिनांक 19.03.2015 को अभ्यर्थी के पक्ष में निर्णय दिया गया जिसके उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम) शिक्षा विभाग जोधपुर के आदेश क्रमांक जिशिअ/माध्य/जोध/संस्था–स/नियुक्ति/पीएससी 2008/शाशि/2015/60 दिनांक 19.06.2015 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। तद्परान्त अपीलार्थीगणों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका संख्या 5951/2020 जगदीश मेघवाल व अन्य बनाम सरकार दायर की गई जिसमे शा.शि. ग्रेड द्वितीय व शा.शि. ग्रेड तृतीय एक ही भर्ती परीक्षा दिनांक 04.10.2009 को सम्पादित की गई जिस अनुसार शा.शि. ग्रेड द्वितीय के पदो पर आदेश दिनांक 18.03.2013 द्वारा अभियार्थियो को नियुक्ति दी गई जिसके सामान वेतन स्थिरीकरण, वरीष्ठता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ देने हेतु मांग की गई जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिनांक 30.07.2020 के द्वारा आदेशित किया गया है कि याचिकार्थी द्वारा एक विस्तृत अभ्यावेदन मय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत न्यायिक दृष्टांत याचिका संख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल अन्य बनाम सरकार (निर्णय–16.07.2014) के परिपेक्ष्य में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिवादीगण को विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए निस्तारण के आदेश दिए गए है। अतः अपीलार्थी को उक्त न्याय निर्णयों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी से कनिष्ठ/योग्यता में निचले स्तर की नियुक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारित करते हुए सभी परिणामी परिलाभ प्रदान किये जावें।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन किया जाकर अनुशीलन/मनन किया। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह

अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के स्वयं के अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को इस अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय लम्बित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ इसी प्रक्रम पर अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य